


8/126

अधिवक्ता उभयपक्षा उप.। हमने पत्रावली का भवलोहन  
क्रिया। प्रकरण में आदेशीता दिनांक 4/4/2018 द्वारा रेस्पी.  
सं.। के कार्यम मुकाम की कार्यवाही पेश करने हेतु निर्दिष्ट  
क्रिया गया। किन्तु अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वर्ष  
2018 से अदिनांक तक उक्त आदेश की पाठना नहीं गयी।  
अधिवक्ता अपीलाण्ट को उक्त आदेश की पाठना हेतु वर्ष  
2018 से अनेकानेक अवसर प्रदान किये गये। लेकिन  
पानपुस कर अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय आदेशों  
की तस्मील नहीं की जा रही है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट  
द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना करने से उक्त  
अपील अक्स तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार छोट नम्बर से एक उम की पत्रावर  
दाखिल दफतर हो।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली